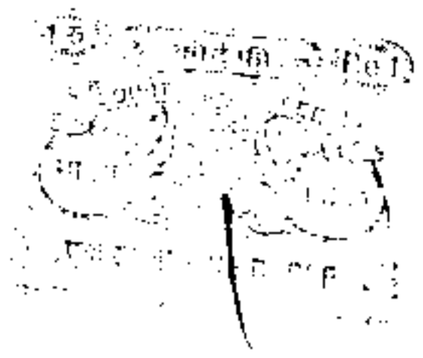

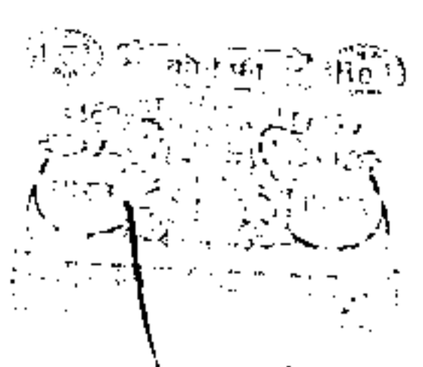

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील टी.ए.संख्या 6162/2009 जिला जोधपुर

1. धन्नीदेवी पत्नि हरजी
2. खोजाराम पुत्र हरजी
3. मूलाराम पुत्र चोलाराम
4. सूरजा पुत्र चोलाराम

समस्त जाति मेघवाल निवासी ग्राम माणाई, तहसील जोधपुर जिला जोधपुर

-- *अपीलांटस*

बनाम्

1. कन्हैयालाल पुत्र लालचंद
2. सीताराम पुत्र कन्हैयालाल

समस्त जाति माली, निवासी जोधपुर ठीकाणा चांदपोल के बाहर, जोधपुर

-- *रेस्पोंडेन्टस*

अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, जोधपुर दिनांक 20.03.1976 अन्तर्गत अपील संख्या 118/1975

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज अपील डिकी/टी.ए/6162/2009/जोधपुर धन्नीदेवी बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
31-10-2011	<u>खण्डपीठ</u> श्री ताराचन्द सहारण, सदस्य श्री चैनसिंह पंवार, सदस्य उपस्थित- श्री भियाराम चौधरी, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण श्री विरेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या-2 के वारिसान की ओर से श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या-3 <u>निर्णय</u> अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20-03-1976 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस प्राथमिक आपत्ति के प्रार्थनापत्र दिनांक 11-5-2010 पर सुनी गयी। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनाक 20-3-1976 के विरूद्ध दिनांक 7-8-2009 को प्रत्यर्थी संख्या-1 कन्हैयालाल व प्रत्यर्थी संख्या-2 सीताराम को पक्षकार वनाते हुए प्रस्तुत की गयी जबकि उक्त दोनों प्रत्यर्थीगण का देहान्त कमशः वर्ष 1979 एवं दिनांक 21-1-1991 को हो चुका था। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा मृत व्यक्ति को विपक्षी पक्षकार बनाते हुए अपील प्रस्तुत की गयी है, जो nullity शून्य प्रभाव वाली है। अतः प्राथमिक आपत्ति के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए अपील को इसी स्तर पर निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1964 मैसूर पेज 293 एवं आरबीजे 1999 (6) पेज 221 तथा 1989 आरआरडी पेज 667 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से अपनी बहस में कथन किया गया कि मृतक के वारिसान द्वारा प्रस्तुत आवेदन में भी अपने सम्पूर्ण नाम पते नहीं दिये है एवं केवल मात्र मृतक के वारिसान संदीप कच्छावा द्वारा यह आवेदन पेश किया गया है, जिसमें पता भी सिर्फ चांदपोल के पीछे लिखा है, जो अधूरा है एवं समस्त वारिसानों द्वारा आवेदन पेश नहीं किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जावे। हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज अपील डिकी / टी.ए / 6162 / 2009 / जोधपुर धन्नीदेवी बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

परिणामतः प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थनापत्र दिनांक 11-5-2010 स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने से खारिज की जाती है।

उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को नियमानुसार निर्णय से सूचित किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति नियमानुसार भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31-10-2011

(चैनसिंह पंवार)
सदस्य

(ताराचन्द सहारण)
सदस्य